कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर (छ.ग.)

/ / विज्ञापन / /

क्रमांक फ / दो–11– 23 / 2014 सूरजपुर दिनांक 22-8-2014

सूरजपुर न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत निम्नानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु अम्बिकापुर सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के अर्हताधारी स्थानीय निवासियों से दिनांक 11.09.2014 के संध्या 5.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	आरक्षण स्थिति					
	वर्ग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.सैनिक	योग
भृत्य	अनुसूचित जनजाति	3	2	0	1	06
	अनुसूचित जाति	1	0	0	0	01
	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	0	0	0	02
	अनारक्षित	2	2	0	1	05
	योग	**8**	**4**	**0**	**2**	**14**

नोट :–प्रवर्ग की संख्या में कमी या बृद्धि हो सकती है ।

साक्षात्कार स्थल दिनांक एवं समय – जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, छ.ग.

दिनांक 20.09.2014 पूर्वान्ह 10 बजे से प्रारम्भ होगा

(परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार अगले दिन भी ली जा सकेगी)

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) वेतन बैड व ग्रेड वेतन – 4750 –7440 ग्रेड वेतन 1300/

(2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – पांचवी उत्तीर्ण ।

(3) आयु सीमा – दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक न हो।

निर्धारित आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3(एक) (1) :– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा मे अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

3(एक) (2) :– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–7–25–93/1 आ0प्र0 दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

3(एक) (3):– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3(एक) (4) :– ऐसी अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होगी।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

3(एक) (5) :– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणमस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होगी।

3(एक) (6) :– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी। इस अधिकतम आयु सीमा तथा छूट की सीमा को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3(एक) (7) :– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा मे उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप मे सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा मे छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होगें।

3(एक) (8) :– स्वंय सेवी नगर सैनिको (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3(दो) (1) :– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3(दो) (2) :– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3(दो) (3) :– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी. 3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3(दो)(4) :– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ– 6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावगी।

टीप :– (1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) मे अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा मे सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) मे दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) उपरोक्त 3(एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

(4) किसी भी उम्मीदवार को उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. <u>पात्रता की अन्य शर्तें</u>

(1) आवेदक को अम्बिकापुर (सरगुजा) संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(2) कोई भी पुरूष उम्मीद्वार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

(3) कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी उम्मीद्वार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धि दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया एवं आवश्यक सूचना :–

(1). आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **11.09.2014** की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र में लिखा हो तथा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर स्वंय का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ0ग0) के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक **11.09.2014** की संध्या 5:00 बजे उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणीकृत छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

(2). जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाणपत्र अथवा पांचवी/आठवी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्व–प्रमाणीकृत छाया प्रति संलग्न करें।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हे अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम, पता तथा फोटो युक्त प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रस्तुत करना होगा **जो योग्य होने पर प्रवेश पत्र माना जावेगा**। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि पर उक्त प्राप्ति अभिस्वीकृति के साथ मूल प्रमाण पत्र सहित कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर में उपस्थित होवें। आवेदन पत्र के साथ स्वंय का पता लिखा हुआ एक लिफाफा 5/– की डाक टिकट के साथ संलग्न करें। डाक से आवेदन पत्र प्रेषित करने वाले योग्य आवेदक साक्षात्कार तिथि के पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी योग्य उम्मीद्वारी का प्रमाण प्रस्तुत कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।

(5) प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत दिनांक 13.09.14 को योग्य/अयोग्य सूची जारी की जावेगी तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। दिनांक 14.9.2014 तक दावा आपत्ति स्वीकार किये जावेंगे तत्पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। दिनांक 15.09.2014 को साक्षात्कार योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की जावेगी।

6.चयन प्रकिया

(1) उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु 10 अंकों का साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार में प्राप्तांको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो जारी दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(2) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

(3) यदि किसी भी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद, अग्रेषित (Carry forward) नहीं कये जायेंगे वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वार के चयन द्वारा भरे जा सकेगें जिस प्रवर्ग के लिए पद आरक्षित हैं।

7. अन्य महत्वपूर्ण , शर्तें एवं नियमः—

(1) परीक्षार्थी को साक्षात्कार में निर्धारित समय से आधे घंटे के पश्चात आने पर परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(2) यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, निरस्त किया जा सकेगा।

(3) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

(4) आवेदक को आने जाने का कोई यात्रा भत्ता नही दिया जाएगा।

(5) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से कभी भी अधोहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी, जिसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

(6) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड से आरोग्य प्रमाण पत्र पेश करना होगा। अस्वस्थ्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(8) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(9) पात्रता शर्तो के अनुसार अनुपयुक्त पाये जाने पर उम्मीद्वार की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(गनपत राव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
20-8-14 सूरजपुर

भृत्य पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सूरजपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :..

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में) | | | | | | | | | | | | |

3. लिंग– पुरूष, संकेतांक–1, महिला संकेतांक–2 । [ ]

4. पिता/पति का नाम :..

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :..
:..
मो0नं0:..

(ब) स्थायी पता :..
:..
:..

6. (अ) जन्म तिथि अंको में

दिन माह वर्ष

शब्दो में ....

(ब) दिनांक 01.01.2014 को आयु :– वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

7. क्या आवेदक छ0ग0 का मूल निवासी है? हां/नही [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

8. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नही [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

10. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नही [ ]
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत [ ]

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नही
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

13 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

14 रोजगार कार्यालय का नाम ....

15. क्या आप विवाहित है? हां/नही

16 यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि

17 जीवित बच्चो की संख्या

क0	नाम	लिंग	जन्म तिथि

18 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/ वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णाक

19 क्या आवेदक शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हां/नही
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

20
संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :–
1.
2.
3.
4.

घोषणा

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक .... आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान .... नाम एवं पूरा पता

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.)

स्वयं का हस्ताक्षर किया हुआ फोटो चस्पा करें।

पावती

रोल नं./पंजीयन क्र. ....

आवेदित पद का नाम – **भृत्य** वर्ग –.........................

आवेदक का नाम.. पिता/पति...

पत्र व्यवहार का पता..

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–...

....

....

(आवेदक रोल नं. को छोड़कर शेष समस्त कंडिकाओं की पूर्ति आवश्यक रूप से स्वयं करें)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

C:\Documents and Settings\HCL\Desktop\First Notesheet Tran. Posting.doc79